राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कालू बनाम मालीराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/12/2025	397/2012 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 29/12/2025 को पेश हो।	
29/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 आपस में भाई बन्ध, पेशा काश्तकार होकर ग्राम जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर के निवासी है। वादी के पिता भींवाराम थे, जिनके कालू (वादी) व प्रभात एवं नानू हुऐ। भींवाराम के भाई पन्ना लाल के नाऔलाद होने से प्रभात पन्नालाल के व नरसा नाऔलाद होने से वादी नरसा के गोद आया तथा वादी के असल पिता भींवाराम के केवल नानू रहा जो नाऔलाद होने से वादी का पुत्र मोहन नानू के गोद आया। पन्नालाल, नरसा, भींवाराम के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 29 रकबा 04 बीघा 15 बीस्वा ग्राम जाहोता, तहसील आमेर में स्थित है। वरवक्त सेटिलमेंट पन्ना बड़ा व कर्ता खानदान होने से पन्ना के नाम से पर्चा आ गया। जबकि तीनों भाई राजकाल के समय से ही उक्त वर्णित कृषि भूमि पर संयुक्त रूप से काश्त करते रहे है। उक्त भूमि में हिस्सा 1/3 प्रभात व हिस्सा 1/3 कालू व हिस्सा 1/3 मोहन का है। वादी अपने हिस्से की भूमि में काश्त करता है। इसी अनुसार बड़ा गांव उर्फ जाहोता में खसरा नम्बर 26 रकबा 05 बीघा 10 बीस्वा खसरा नम्बर 31 रकबा 03 बीस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 52, 53, 54, 55, 56, 96, 98 कुल किता 07 रकबा 1.43 हेक्टयर भूमि है। जिसमें भी वादी का हिस्सा 1/6 प्रभात के नाम से दर्ज है व शेष 2/3 हिस्सा सम्पूर्ण का मालिक वादी अर्से से काबिज होकर कुंआ, विद्युत कनेक्शन का उपयोग उपभोग कर रहा है तथा लगान जमा करवा रहा है। श्योजी पुत्र बींजा तथा उसकी सन्तानों के नाम उक्त भूमि कभी नही रही। जिसके बाबत् श्योजी ने एक लिखावट दिनांक 12.02.1968 को वादी के हक में लिखावट दी है। उक्त भूमि में वादी ने फसलें बोकर काश्त कर रहा है तथा पानी के हौद, पुख्ता मकानात चौभीता व नोहरा बना रखे है। उक्त जमीन प्रभात के नाम होने एवं उसके कोई औलाद नही होने से प्रभात उक्त वर्णित भूमि को खुर्दबुर्द करना चाहता है। प्रभात पिछले 12-13 वर्षों से गांव छोड़कर बिहारीपुरा रहने लग गया है, इसलिए उसके हिस्से की भूमि पड़त पड़ी है। उक्त तीनों खसरा नम्बरान में वादी के नाम की खातेदारी करवाने व पर्चा सही करवाने की प्रतिवादीगण से कहता आया है। जिस पर प्रतिवादीगण ने पर्चा दुरूस्त करवाने का आश्वासन देते रहे है। परन्तु होली के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

दिन दिनांक 12.03. 1998 को प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि दुरूस्ती नही करवायेगें व पूरी जमीन को व कुंआ बिजली को दीगर लोगों को बेचेगें तथा वादी को इस जमीन से निकल जाने की धमकियां दी है। वादी ने तहसील व उप पंजीयक कार्यालय में भी इसकी शिकायत की लेकिन उन्होने कहा कि हम रिकार्ड के अनुसार ही कार्यवाही करेगें। दिनांक 30.03.1998 को प्रतिवादीगण ने वादी को जमीन बेचने व बेदखल करने की धमकी दी है । वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा व तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का डिकी किया जाकर वादी को जाहोता के आराजी खसरा नम्बर 26 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 31 रकबी ठंड वास्या मथ एच.पी. विद्युत कनेक्शन सहित जिसके हाल खसरा नम्बर 52. 53, 54, 55, 56. 96. 98 कुल किता 07 रकबा 1.43 हेक्टयर का हिस्सा 2/3 का मालीराम, नारायणलाल, हीरालाल, बोदूराम का नाम हज्फ करते हुए वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दुरूस्ती की जावे तथा वादी को हिस्सा 2/3 हिस्सा का मय विद्युत कनेक्शन सहित का तकासमना बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में किया जाकर पर्चा लगान अलग-अलग कायम किया जाकर किया जावे। वादी के घोषित हिस्से में आई भूमि व कुंआ व बिजली के उपयोग, उपभोग में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से बेदखल व मजाहमत न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 04 की और से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया गया कि वादी ने सजरा खानदान लडकियों को न दर्शात हुऐ गलत प्रदर्शित किया है । स्व. नरसा के तीन लड़कियां चूनी. प्रभाती, मोहरी व पन्ना लाल के चार लड़कियां गोरा, भूरी, मोहनी, गुल्ली है जिनको वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। नरसा के वादी एवं नानूराम पुत्र ने मोहन को गोद लिया है यह तथ्य भी गलत है इसलिए वाद खारिज किये जाने योग्य है। विवादित आराजीयात पर मिन प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2 पुश्तैनी चला आ रहा है जिस पर मिन प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। जिसका लगान भी मिन प्रतिवादीगण अदा करते चले आ रहे है। वादी द्वारा दिनांक 12.02.1968 की कथित लिखावट बनावटी व फर्जी है। विवादित आराजी में चाह बना हुआ है जो शामलाती है एवं बिजली वादी व प्रतिवादी संख्या 5 के नाम से लगी हुई है । वादी का 2/3 हिस्सा नही है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 5 व 6 से मिलकर झूठा दावा मिन प्रतिवादीगण की जमीन को हड़पने की गरज से पेश किया है। खसरा नम्बर 31 में किसी प्रकार की कोई पाईप लाईन व हौदियां नहीं है। वादी प्रभात के हिस्से पर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कालू बनाम मालीराम

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

~~काबिज है। उक्त आराजी में मिन प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2 है और प्रतिवादी~~ संख्या 05 का हिस्सा 1/2 है जिस पर वादी का कब्जा है। प्रतिवादी संख्या 06 वादी का लड़का है। विवादित आराजी का मिन प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2 का अलग से बंटवारा कर मिन प्रतिवादीगण के नाम से अलग से पर्चा लगान कायम कर दिया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। दिनांक 12.03.1998, 30.03.1998 का वाद कारण मनगढन्त व काल्पनिक है। वादी किसी भी प्रकार का कोई दुरूस्ती करवाने का अधिकारी नही है। मिन प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2 है जिसको बंटवारा किया जाकर अलग से मिन प्रतिवादीगण के नाम पर्चा अलग से जारी किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। खसरा नम्बर 26 व 31 में वादी का हिस्सा 2/3 नही है बल्कि प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/2 है जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 काबिज है। शेष 1/2 हिस्सा मिन प्रतिवादीगण का है जिस पर मिन प्रतिवादीगण काबिज काश्त है व उपयोग उपभोग कर रहे है। जिसका अच्छे बुरे के लिहाज से अलग कर दिया जाता है व अलग पर्चा लगान कायम कर दिया जाता है या मौके पर सीमांकन कर दिया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। कानूनन मिन प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अतः जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वादी का बाद पत्र मय खर्चा, खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 का कांउटर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर हाल खसरा नम्बर 52 लगायत 56, 96, 98 ग्राम जाहोता, तहसील आमेर में मिन प्रतिवादीगण के 1/2 हिस्से का अच्छी बुरी के लिहाज से बंटवारा किया जाकर मिन प्रतिवादीगण के हिस्से 1/2 का अलग से पर्चा लगान कायम किया जावे। व सीमांकन करवाया जावे व प्रतिवादी संख्या 5, 6 व वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

जिस पर अपीलार्थी/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब उल जवाब प्रस्तुत किये गये। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10/07/2012 को तनकीवार निर्णय व डिक्री पारित करते हुये वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई। जिसमे अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य-सबूत का बिस्तृत

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कालू बनाम मालीराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

परिक्षण/विवेचन कर तनकीवार निर्णय पारित किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10/07/2012 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 29/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |